

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन शाखा)  
अधिसूचना

संख्या : डी0 एल0 ए0 नालन्दा - 2319/20 पटना, दिनांक 18-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-नोनही परगना-राजगीर, थाना नं0-478 थाना-राजगीर, जिला-नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राजगीर-बाईपास पथ निर्माण के लिए सरकार को खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-नोनही थाना नं0-478 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमेश 6 1275 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं0- 685, 686, 759, 762, 766, 769, 770, 771, 772, 773, 776, 777, 779, 780, 783, 784, 821, 822, 827, 828, 835, 836, 837, 838, 839, 1023, 1024 एवं 1026 सभी अंश तथा खेसरा सं0- 758, 763, 764, 765, 774 एवं 778 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

- उत्तर - खेसरा सं0- 837, 836, 828, 827, 822, 821, 685, 686, 777, 776, 773, 772, 759, 757, 1026, 1023, 752, 750, 1023 एवं 1024 सभी अंश।  
पूरब - सीमाना- मौजा-नाहुव थाना नं0-476  
दक्षिण - खेसरा सं0- 839, 838, 835, 828, 827, 822, 820, 686, 779, 780, 783, 784, 771, 770, 769, 768, 751 एवं 1024 सभी अंश।  
पश्चिम - सीमाना मौजा-पथरौरा थाना नं0-480

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम सन् 1961, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो। इसका नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस प्रोजेक्ट से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे.....के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में उक्त उपबन्धों तथा बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिसूचित करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि प्रियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा  
अपर समाहर्ता, नालन्दा  
समाहर्ता, नालन्दा  
सरकार के सचिव

पत्रांक संख्या-2319/20 डी0 एल0 ए0-नालन्दा, दिनांक 18-09-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव